कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 1162 /11–सी– **FP/UP/Road/39827/2019**, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 10 ,2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–26 के किमी0 सं0–3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/86/2019/एफ0सी0/361, दिनांक 17.10.2019 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–151/81–2–2019–800(64)/2019, दिनांक 05.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी ने अपने पत्रांक–1704/33–1, दिनांक 08.12.2019 के द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की दो प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

10/12/19
(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1162 /11–सी–**FP/UP/Road/39827/2019**, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग), लो0नि0वि0, झांसी।

10/12/19
(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1